अपील सूचना अधिकार संख्या 52/2023(GCMS 2023/197) (आरटीआई नं. 212398722320828) श्री कृष्ण कुक्कड़ पुत्र श्री शिवराम निवासी 1–103 हाऊसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर बनाम उपजिला कलक्टर आपदा प्रबंधन अधिकारी एवं इन्सीडेंट कमांडर (उपखण्ड अधिकारी), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.11.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड दिनांक 03.11.2023 स्वयं उपस्थित हुए। आज उपस्थित नहीं हुए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपजिला कलक्टर आपदा प्रबंधन अधिकारी एवं इन्सीडेंट कमांडर (उपखण्ड अधिकारी), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.08.2023 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से पूर्ण वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 27.08.2023 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से निम्न छः बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व थानाधिकारी थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर को उप जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एवं इन्सीडेंट कमांडर (उपखण्ड अधिकारी), श्रीगंगानगर को नशा मुक्ति के नाम से अवैध संचालित सैंटर को बंद करवाने बाबत जारी आदेश संख्या 661–662 दिनांक 03.06.2021 और आदेश संख्या 793–94 दिनांक 01.0[illegible] की सत्यप्रतियां दी जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested

2. दिनांक 10.09.2021 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा उप जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को प्रेषित जांच रिपोर्ट/पत्र संख्या 9110 की सत्य प्रतियां दी जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3. उप जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एवं इन्सीडेंट कमांडर (उपखण्ड अधिकारी), श्रीगंगानगर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को कार्यवाही हेतु दिनांक 14.07.2021 को प्रेषित पत्र संख्या 3921 की सत्यापित प्रति दी जावे।
4. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2024 को जारी आदेश संख्या 2197–2230 की पालना में जिला श्रीगंगानगर में संचालित नशामुक्ति केन्द्रों की सर्वे रिपोर्ट एवं विधि मान्य अनुज्ञप्ति के बगैर गैर कानूनी तौर पर संचालित नशा मुक्ति केन्द्रों के खिलाफ की गयी विधिक कार्यवाही की सत्यप्रतियां दी जावे।
5. राजस्थान निराव्यसन केन्द्र नियक, 2020 के नियम 9 के तहत कार्यरत जिला स्तरीय समिति श्रीगंगानगर द्वारा 18 दिसम्बर 2020 से 26 अगस्त 2023 तक श्री श्याम जन जागृति समिति, श्रीगंगानगर द्वारा विधि मान्य अनुज्ञप्ति हासिल किए बगैर अवैध रूप से संचालित नशा मुक्ति केन्द्र का निरीक्षण करने पर तैयार निरीक्षण रिपोर्ट अनुज्ञप्ति के निलंबन या निरस्त करने और दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने बाबत प्राधिकरण को प्रेषित अभिलेख/जांच रिपोर्ट की सत्य प्रतियां दी जाये
6. दिनांक 02.07.2021 को सद्भावना [illegible] निवासियों द्वारा अवैध रूप से संचालित श्री [illegible] मुक्ति केन्द्र को बंद कराने बाबत पेश आवेदन पत्र एवं उक्त आवेदन पत्र के संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा की गयी विधिक कार्यवाही की सत्यप्रतियां दी जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/एलआर/2023/616 दिनांक 23.10.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री कृष्ण कुक्कड़ द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित पत्रावली कार्यालय में तलाश की गयी, परन्तु उपलब्ध नहीं हुई। पत्रावली उपलब्ध न होने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 602 दिनांक 27.09.2023 से 7 सदस्य कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्यों की रिपोर्ट के आधार पर अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई।
>
> पत्रावली उपलब्ध न होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 610 दिनांक 04.10.2023 से थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली में पत्रावली गुमशुदगी की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। पुलिस थाना कोतवाली से रिपोर्ट आदिनांक तक अपेक्षित है। सूचना श्रीमान्‌जी को सादर प्रेषित है।
>
> **संलग्न : उपरोक्तानुसार।**
>
> -sd-
> (संजय कुमार)
> सहायक लोक सूचना अधिकारी
> एवं उपखण्ड अधिकारी
> श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उ[illegible] अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/एलआर/[illegible].10.2023 से अपील का जवाब दिया है कि अपीलार्थी द्वा[illegible] सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं हो रही है और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उ[illegible] द्वारा दर्ज करवाई जा चुकी है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावली को पुनः कार्यालय में तलाश करवायें और पत्रावली उपलब्ध हो जाने की स्थिति में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रावधानानुसार उसे उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना की पत्रावली उपलब्ध न होने की स्थिति में जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध नियमुानसार कार्यवाही करें। अपीलार्थी को भी आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested